भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2715

09.03.2026 को उत्तर के लिए

संरक्षित क्षेत्रों से स्वैच्छिक स्थानांतरण

2715. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार संरक्षित क्षेत्रों से स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए दिए जाने वाले वित्तीय पैकेज में वृद्धि करने वर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने में आने वाली चुनौतियों के कारण संरक्षित क्षेत्रों से स्वैच्छिक पुनर्वास में विलंब हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर केरल में इसके समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) वन्यजीव पर्यावासों का विकास योजना के अंतर्गत पुनर्वासित गांवों, संवितरित मुआवजे और लंबित भुगतानों, यदि कोई हों, का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से स्वैच्छिक रूप से स्थानांतरण में विलंब हुआ है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पुनर्वास कार्य पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ङ) वायनाड लोक सभा निर्वाचित क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों से पुनर्वासित और पुनर्वासित किए गए परिवारों का ब्यौरा क्या है, मुआवजे की स्थिति क्या है और विस्थापित समुदायों को प्रदान की गई सहायता यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में आंशिक रूप से स्थानांतरित बस्तियों सहित संरक्षित क्षेत्रों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे पात्र परिवारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। मंत्रालय, वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन तथा उनके आवासों के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएँ 'वन्यजीव पर्यावास विकास' के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसमें संरक्षित क्षेत्र से ग्रामों को स्वैच्छिक ग्राम पुर्नवास के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

मार्च 2023 में, योजना के तहत मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक पुर्नवास के लिए वित्तीय सहायता को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है। स्वैच्छिक ग्राम पुर्नवास को संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लागू करते हैं, और इसके प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जिला स्तरीय समितियाँ बनाते हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजना - 'वन्यजीव पर्यावास विकास' के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्राप्त वार्षिक परिचालन योजना (एपीओ) और बजट की उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जाती है। वन्यजीव पर्यावास विकास योजना के तहत केरल राज्य में 246 परिवारों को स्वैच्छिक ग्राम पुर्नवास के लिए केंद्र से मदद के तौर पर 1107 लाख रुपये (2023-24 में 553.5 लाख रुपये और 2024-25 में 553.5 लाख रुपये) की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

संरक्षित क्षेत्र से स्वैच्छिक ग्राम पुर्नवास एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसके लिए संबंधित परिवारों की स्वेच्छा और संसाधन की मौजूदगी ज़रूरी है। केरल राज्य से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वायनाड अभ्यारण्य के 267 परिवारों को शामिल करते हुए 10 ग्रामों के स्वैच्छिक ग्राम पुर्नवास को पूरा करने के लिए 2670 लाख रुपये वितरित किए गए।

*****